

RIYASAT INFRATECH DEVELOPERS LLP

Date.....

सेवामें,

श्रीमान् उपायुक्त महोदय,
जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

विषय :- निजी खातेदारी की मुख्यमंत्री जन आवास योजना -2015 के प्रोविजन 3-सी के अन्तर्गत अनुमोदित आवासीय योजना "दा रिंग रेजिडेन्सी में एम्पैनल्ड पंजीकृत वास्तुविद श्री अंकित शर्मा (पंजीकृत संख्या CA/2007/40652, CTP RAJ/ARCHITECTS/2021/30) द्वारा पुर्णता प्रमाण पत्र की प्रतिलिपी जमा कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी ज.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित आवासीय योजना "दा रिंग रेजिडेन्सी" ग्राम सीतारामपुरा के खसरा नम्बरान 219, 220, 221, 222, 230 तहसील सांगानेर, जयपुर, राजस्थान, मुख्यमंत्री जन आवास योजना -2015 के प्रोविजन 3-सी के अन्तर्गत अनुमोदित आवासीय योजना में 20 प्रतिशत भूखण्डों पर वास्तुविद द्वारा जारी भवन मानचित्र अनुसार निर्माण कार्य करवाया जा चुका है, उक्त योजना में एम्पैनल्ड पंजीकृत वास्तुविद श्री अंकित शर्मा (पंजीकृत संख्या CA/2007/40652, CTP RAJ/ARCHITECTS/2021/30) द्वारा पुर्णता प्रमाण पत्र प्रतिलिपी जविप्रा में जमा करवाई जा रही है।

संलग्न

1. पुर्णता प्रमाण पत्र की प्रतिलिपी
2. चालान की प्रतिलिपी



रियासत इन्फ्राटेक डवलपर्स एल.एल.पि.
जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

